दिनाक 15.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 15/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मेरठ/थाना सिविल लाइन</u>

- **06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में लूटे गये सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, चम्मच आदि**
- **06 मोबाइल फोन**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2022 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 शातिर अभियुक्तों 1–जितेन्द्र 2–नीशू 3–रोहित 4–गौरव 5–आसिफ उर्फ शाबिर 6–आदित्य को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूटे गये सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, चम्मच आदि, 06 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 12.06.2022 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी नरमेह थाना दिगवां जनपद आजमगढ़, हालपता एफ–94 गंगानगर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

2–नीशू निवासी एफ ब्लाक गंगानगर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

3–रोहित निवासी आजादनगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा, हालपता जेजी–329 गंगानगर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

4–गौरव निवासी गिरधरपुर तुमरैल थाना हापुड़ जनपद हापुड़ हालपता आई ब्लाक गंगानगर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

5–आसिफ उर्फ शाबिर निवासी आजादनगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

6–आदित्य निवासी एफ ब्लाक गंगानगर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में लूटे गये सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, चम्मच आदि।

2–06 मोबाइल फोन।

3–04 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के आभूषण**
- **लूट के 02 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.06.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला दौलत मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही

में शातिर अभियुक्त वीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के आभूषण, लूट के 02 हजार 200 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–वीरेन्द्र निवासी हरचन्द्रपुर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के आभूषण।

2–लूट के 02 हजार 200 रूपये नगद।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे/थाना कोतवाली

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 05 सोने की चैन**
- **08 हजार रूपये नगद**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.06.2022 को थाना हाईवे, थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1—छोटू उर्फ नासिर उर्फ पण्डित 2—रहीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 05 सोने की चैन, 08 हजार रूपये नगद, 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त छोटू उर्फ नासिर उर्फ पण्डित के विरूद्ध जनपद मथुरा, आगरा के विभिन्न थानो में लूट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त रहीश के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटू उर्फ नासिर उर्फ पण्डित निवासी केसरदेव कटरा डींग गेट थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

2—रहीश निवासी तेलीपारा डींग गेट थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1—लूट की 05 सोने की चैन।

2—08 हजार रूपये नगद।

3—02 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 चार पहिया वाहन**
- **04 मोबाइल फोन, 04 माइक्रो चिप, 05 चाबियां**
- **एक्स टूल्स डिवाइस पैड मय उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 14.06.2022 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलासपुर रोड दनकौर के पास चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तों 1–दीपक कुमार 2–रोहित कुमार 3–गब्बर 4–भानू प्रताप 5–इरफान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 चार पहिया वाहन, 04 मोबाइल फोन, 04 माइक्रो चिप, 05 चाबियां, एक्स टूल्स डिवाइस पैड मय उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चार पहिया वाहन आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक कुमार निवासी गढ़ी आजमपुर थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–रोहित कुमार निवासी गढ़ी आजमपुर थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–गब्बर निवासी डेरीन खुवन थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–भानू प्रताप निवासी रोशन विहार कॉलोनी थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

5–इरफान निवासी रानीपुरा तेहरा दौलतगंज थाना सेंट्रल कोतवाली इंदौर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी की 03 चार पहिया वाहन।

2–04 मोबाइल फोन, 04 माइक्रो चिप, 05 चाबिया।

3–एक्स टूल्स डिवाइस पैड मय उपकरण आदि।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख 67 हजार 440 रूपये कीमत के 311 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **लगभग 20 लाख 02 हजार 340 रूपये कीमत के 106 कूलर**
- **01 कन्टेनर ट्रक बरामद**

दिनांक 15.06.2022 को थाना छाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौताना पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान कूलरो के कार्टून में छिपाकर अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1–साकिर 2–नय्यूव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख 67 हजार 440 रूपये कीमत के 311 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, लगभग 20 लाख 02 हजार 340 रूपये कीमत के 106 कूलर, 01 कन्टेनर ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साकिर निवासी कस्बा व थाना रोज का मेव जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

2–नय्यूव निवासी कस्बा व थाना उटावड जनपद पलवल हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 15 लाख 67 हजार 440 रूपये कीमत के 311 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–लगभग 20 लाख 02 हजार 340 रूपये कीमत के 106 कूलर।

3–01 कन्टेनर ट्रक।

<u>जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 15.06.2022 को थाना संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहजीपुर रेलवे क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2022 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संग्रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शैलेन्द्र प्रताप उर्फ दीपू निवासी दादूपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 323/354 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महमूद को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 15 करोड़ 25 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरूषोत्तम दास सिंघला निवासी विजईपुर विशेष खण्ड–2, थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 15 करोड़ 25 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 67 लाख 38 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त मेराज पुत्र जाबिर निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 67 लाख 38 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य 05 अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 14–06–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को 05 अदद पिस्टल मय 10 अदद मैगजीन सहित जनपद हरदोई से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

राम प्रताप सिंह पुत्र मोती सिंह, नि0 ग्राम– लारपुर लाडपुर, थाना– कोपागंज, मऊ।

बरामदगी :–

1. 05 अदद पिस्टल .32 बोर।
2. 10 अदद मैगजीन .32 बोर।
3. 01 अदद मोबाईल फोन।
4. 01 अदद आधार कार्ड।
5. रूपये 710/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समयः–

लखनऊ–हरदोई राजमार्ग, मतुवा मोड, थानाक्षेत्र– कछौना, हरदोई, दिनांक 14–06–2022 व समय 21:15 बजे।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिनके विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्री दिलीप कुमार तिवारी निरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0, लखनऊ के नेतृत्व मे एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मु0आ0 संतोष सिंह, एसटीएफ, उ0प्र0, लखनऊ को ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करों द्वारा मध्य प्रदेश प्रान्त के खरगौन जनपद से देशी पिस्टल लाकर लखनऊ व आस–पास के जनपदों मे बेचा जा रहा है। इसी क्रम मे अभिसूचना को विकसित करने हेतु उक्त एसटीएफ टीम सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र के पास मौजूद थी कि विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य खरगौन, म0प्र0 से अवैध असलहा की खेप लेकर जनपद हरदोई के थाना कछौना क्षेत्रान्तर्गत मतुवा मोड़ आने वाला है। शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर सहयोग हेतु स्थानीय थाने से सम्पर्क कर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2017 मे मेरी मुलाकात राजेश यादव से जनपद देवरिया के कारागार मे हुयी थी, जिसके माध्यम से लड्डू व शीतल नि0 उज्जैन के बारे मे जानकारी मिली। जिन्होने मेरी मुलाकात सरदार नाम के एक व्यक्ति, जो खरगौन म0प्र0 का निवासी है से कराया। जिससे मेरे द्वारा 12 हजार रूपये प्रति पिस्टल खरीदकर 25 से 30 हजार रूपये मे लखनऊ, हरदोई, कानपुर, गाजीपुर, देवरिया, मऊ व बलिया मे बेचने का कार्य किया जाता है। आज मै विनोद वर्मा जो जनपद बलिया का मूल निवासी है तथा लखनऊ व कानपुर मे प्रापर्टी का काम करता है को असलहा बेचने वाला था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त राम प्रताप सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–</u>

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	125 / 2013	394 भादवि	भीमपुरा	बलिया
2	489 / 2013	2 / 3(1)10 यूपी गैंगस्टर एक्ट	रसड़ा	बलिया
3	निल / 2013	41, 411 भादवि	रसड़ा	बलिया

4	435 / 2013	3 / 25 आर्म्स एक्ट	रसड़ा	बलिया
5	295 / 2013	392, 411, 413, 120बी भादवि	रसड़ा	बलिया
6	196 / 2013	392 भादवि	नगरा	बलिया
7	144 / 2013	392, 504, 506 भादवि	भीमपुरा	बलिया
8	733 / 2013	392 भादवि	सराय लखनसी	मऊ
9	464 / 2017	392, 411 भादवि	दुल्लापुर	गाजीपुर
10	96 / 2020	3 / 25 आर्म्स एक्ट	रसड़ा	बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कछौना, जनपद—हरदोई में मु0अ0सं0 234 / 2022 धारा 3 / 7 / 25(6) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

—————————